गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया

GAIL BHAWAN
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI 110066, INDIA

फोन/PHONE: +91 11 2618 2955
फैक्स/FAX: +91 11 2618 2955
info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2024 05.08.2024

1. लिस्टिन्ग अनुपालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूरव), मुंबई-400 051 **स्क्रिप कोड: गेल-ईक्यू**	2. लिस्टिन्ग अनुपालन बीएसई लिमिटेड मंजिल 1, फिरोज़ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 **स्क्रिप कोड: 532155**

विषय: सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत घटना या सूचना का प्रकटीकरण

महोदय/महोदया,

कृपया सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्धारित घटना या सूचना से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

पूर्वी कोयला क्षेत्र में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) परियोजना की स्थापना के लिए दिनांक 05.08.2024 को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौता		
क	उन पक्षों का नाम जिनके साथ समझौता किया गया है।	गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)
ख	समझौते करने का उद्देश्य	ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (ईसीएल), बर्धमान, पश्चिम बंगाल में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) संयंत्र की स्थापना।
ग	उस कंपनी में शेयरधारिता, यदि कोई हो, जिसके साथ समझौता निष्पादित किया गया है।	सीआईएल: गेल - 51%: 49%

घ	समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें (संक्षेप में) विशेष अधिकार जैसे निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार, शेयर जारी करने के मामले में शेयर सदस्यता का पहला अधिकार, पूंजी संरचना में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबंधित करने का अधिकार आदि।	1. संयुक्त उद्यम कंपनी को एक "प्राइवेट लिमिटेड" कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा 2. आरंभिक प्रदत्त शेयर पूंजी 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) 3. संयुक्त उद्यम कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 11,00,00,000/- रुपए (ग्यारह करोड़) होगी, जिसमें 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर शामिल होंगे। 4. संयुक्त उद्यम कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होगा। 5. सीआईएल और गेल दोनों को संयुक्त उद्यम कम्पनी के निदेशक के रूप में तीन कार्यपालकों को नामित करने का अधिकार होगा।
ङ.	क्या उक्त पक्ष किसी भी तरह से प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो संबंध की प्रकृति	जी नहीं, दोनों (गेल और सीआईएल) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हैं।
च	क्या कोई भी लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के अंतर्गत आएगा? यदि हाँ, तो क्या यह लेन-देन "आर्म्स लेन्थ" पर किया गया है?	जी नहीं
छ.	पार्टियों को शेयर जारी करने के मामले में, जारी मूल्य का विवरण, जारी किए गए शेयरों की श्रेणी।	जेवीसी के गठन के पश्चात इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में शेयर जारी किए जाएंगे।
ज	ऐसे समझौतों से संबंधित कोई अन्य विगोपन, जैसे कंपनी के निदेशक मंडल में नामित व्यक्ति का विवरण, ऐसे समझौतों से उत्पन्न होने वाले संभावित हितों का टकराव आदि।	सीआईएल और गेल दोनों को संयुक्त उद्यम कम्पनी के निदेशक के रूप में तीन कार्यपालकों को नामित करने का अधिकार होगा।
झ	समझौते की समाप्ति या संशोधन के मामले में, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अतिरिक्त विवरण का विगोपन करेगी: i. समझौते के पक्षों का नाम; ii. समझौते की प्रकृति;	लागू नहीं

	iii. समझौते के निष्पादन की तिथि; iv. संशोधन का विवरण और उसका प्रभाव या समाप्ति के कारण और उसका प्रभाव	

यह प्रकटीकरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और विगोपन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में है ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महेश कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव

प्रति:

1. ड्यूश बैंक ए जी, फिलिआले मुंबई
   टीएसएस एंड ग्लोबल इक्विटी सर्विसेस
   द कैपिटल, 14वीं मंज़िल
   सी-70, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
   मुम्बई-400051

   ध्यानाकर्षण : सुश्री अपर्णा सालुंके

2. बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड,
   4 सी एंड डी, सिद्धिविनायक चैंबर्स,
   गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के पीछे,
   बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051

   ध्यानाकर्षण : श्री कोस्तुभ कुलकर्णी